न्यायालय– अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर,(राज.)(सेशन खण्ड सीकर)

पीठासीन अधिकारीः– **रविकान्त जिंदल (आर.जे.एस.)**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

पारिवारिक प्रकरण संख्या– 31/2026

आशा सांवल उम्र 23 साल पत्नी मनोज कुमार जग्रवाल पुत्री सुवालाल निवासी वार्ड संख्या 24 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झून्झूनू राजस्थान हाल पीहर ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

––प्रार्थिया नं..–1

एवंम

मनोज कुमार जग्रवाल उम्र 27 वर्ष पुत्र बलदेव निवासी वार्ड संख्या 24 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झून्झून राजस्थान

––प्रार्थी नं.–2

विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा–13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–

श्री राजेन्द्र जाखड प्रार्थिया संख्या –1 की ओर से।

श्री सुरेन्द्र फुलवारिया, अधिवक्ता प्रार्थी संख्या–2 की ओर से।

नि र्ण य **दिनांकः– 10.08.2026**

1– प्रार्थीगण आशा सांवल तथा मनोज कुमार जग्रवाल द्वारा धारा–13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दिनांक 08.12.2023 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुए विवाह को विघटित करने हेतु आपसी सहमति से यह विवाह विच्छेद याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार पक्षकारों का विवाह दिनांक 08.12.2023 को प्रार्थिया के पिता के घर ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ। विवाह के थोडे समय पश्चात् पक्षकारान के आपस में मनमुटाव होकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पक्षकारान दिनांक 30.11.2024 से ही अलग–अलग रह रहे हैं। आवेदकगण के मध्य संबंध

इस सीमा तक खराब हो चुके है कि अब आवेदकगण का गृहस्थ जीवन पुनर्स्थापित होने की पूरी संभावना समाप्त हो चुकी है। दोनों पक्ष एक साथ एक छत के नीचे बतौर पति–पत्नी आवास निवास कर सकें इसकी संभावना समाप्त हो चुकी है। दोनों पक्षों के मध्य भविष्य में एक साथ बतौर पति पत्नी रह कर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना कतई संभव नहीं रहा है। पक्षकारान को समाज, परिवार के मौजीज व्यक्तियों ने काफी समझाइश की गई लेकिन पक्षकारान ने बतौर पति–पत्नी साथ रहन से इनकार कर दिया। इस प्रकार दोनों पक्षों ने आपसी समझाइश तथा परिवारजनों की सहमति से अपना विवाह दिनांकित 08.12.2023 को विघटित करने का निश्चय कर लिया है। प्रार्थिया ने समस्त सोन–चांदी के जेवरात एवं उपहार स्वरूप नगद व अन्य वस्तु जेा कि स्त्रीधन के रूप में माने जाते है वह सम्पूर्ण स्त्रीधन आवेदिका ने आवेदक से प्राप्त कर लिये है। प्रार्थिया का प्रार्थी के पास किसी भी प्रकार का स्त्रीधन व उपहार स्वरूप दिया गया सामान शेष नही है एंव ना ही उक्त सामान के सम्बन्ध में कोई विवाद है एवं ना ही भविष्य में किसी न्यायालय में कोई विवाद आवेदिका की ओर से उठाया जायेगा। आवेदिका ने अपने भरण पोषण बाबत 3,50,000/–आवेदक जरिये डीडी नंबर 7744 से प्राप्त कर लिये है एवं भरण पोषण बाबत कोई विवाद शेष नही है तथा भविष्य में आवेदिका भरण–पोषण बाबत किसी प्रकार की मांग नही करेगी। दोनों पक्षों ने स्वेच्छापूर्वक विवाह विच्छेद हेतु परिजनों की सहमति से याचिका प्रस्तुत की है। पक्षकारान अपना स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं तथा आपसी लेनदेन का निपटारा कर लिया है। पक्षकारान के मध्य बकाया किसी भी प्रकार का नहीं है। प्रार्थिया प्रार्थी से भविष्य में किसी प्रकार के भरण–पोषण की मांग नहीं करेगी। पक्षकारों के मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं है। अंत में याचिका को उचित न्याय शुल्क पर, अंदर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया जाना अभिवचन कर याचिका स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य सम्पन्न विवाह दिनांक 08.12.2023 को विघटित कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

03. पक्षकारों की समझाईश हेतु न्यायालय द्वारा प्रथम संयुक्त प्रयास (First joint motion) दिनांक 23.02.2026 को किया गया। न्यायालय में पक्षकारों ने उपस्थित होकर वैचारिक मतभेद समाप्त नहीं होने से विवाह विच्छेद के लिए सहमत होना कथन किया। दिनांक 06.07.2026 को प्रार्थिया आशा सांवल ने द्वितीय मोशन में साक्ष्य में विवाह कार्ड प्रदर्श 1, आधार कार्ड प्रदर्श 2 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श

2ए, एफआई आर नंबर 38/2025 पीएस अजीतगढ प्रदर्श 3 को प्रदर्शित करवाया है । प्रार्थी मनोज कुमार जग्रवाल ने भी साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए, दस्तावेजी साक्ष्य में शादी का कार्ड प्रदर्श 1 आधार कार्ड प्रदर्श 4 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 4ए को प्रदर्शित करवाया है।

4– उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि पक्षकारों का विवाह दिनांक 08.12.2023 को प्रार्थिया के पिता के घर ग्राम आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ। विवाह के थोडे समय पश्चात् पक्षकारान के आपस में मनमुटाव होकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पक्षकारान दिनांक 30.11.2024 से ही अलग–अलग रह रहे हैं। आवेदकगण के मध्य संबंध इस सीमा तक खराब हो चुके है कि अब आवेदकगण का गृहस्थ जीवन पुनर्स्थापित होने की पूरी संभावना समाप्त हो चुकी है। दोनों पक्ष एक साथ एक छत के नीचे बतौर पति–पत्नी आवास निवास कर सकें इसकी संभावना समाप्त हो चुकी है। दोनों पक्षों के मध्य भविष्य में एक साथ बतौर पति पत्नी रह कर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना कतई संभव नहीं रहा है। पक्षकारान को समाज, परिवार के मौजीज व्यक्तियों ने काफी समझाइश की गई लेकिन पक्षकारान ने बतौर पति–पत्नी साथ रहन से इनकार कर दिया। इस प्रकार दोनों पक्षों ने आपसी समझाइश तथा परिवारजनों की सहमति से अपना विवाह दिनांकित 08.12.2023 को विघटित करने का निश्चय कर लिया है। प्रार्थिया ने समस्त सोन–चांदी के जेवरात एवं उपहार स्वरूप नगद व अन्य वस्तु जेा कि स्त्रीधन के रूप में माने जाते है वह सम्पूर्ण स्त्रीधन आवेदिका ने आवेदक से प्राप्त कर लिये है। प्रार्थिया का प्रार्थी के पास किसी भी प्रकार का स्त्रीधन व उपहार स्वरूप दिया गया सामान शेष नही है एंव ना ही उक्त सामान के सम्बन्ध में कोई विवाद है एवं ना ही भविष्य में किसी न्यायालय में कोई विवाद आवेदिका की ओर से उठाया जायेगा। आवेदिका ने अपने भरण पोषण बाबत 3,50,000/–आवेदक जरिये डीडी नंबर 7744 से प्राप्त कर लिये है एवं भरण पोषण बाबत कोई विवाद शेष नही है तथा भविष्य में आवेदिका भरण–पोषण बाबत किसी प्रकार की मांग नही करेगी। दोनों पक्षों ने स्वेच्छापूर्वक विवाह विच्छेद हेतु परिजनों की सहमति से याचिका प्रस्तुत की है। पक्षकारान अपना स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं तथा आपसी लेनदेन का निपटारा कर लिया है। पक्षकारान के मध्य बकाया किसी भी प्रकार का नहीं है। प्रार्थिया प्रार्थी से

भविष्य में किसी प्रकार के भरण–पोषण की मांग नहीं करेगी। पक्षकारों के मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं है। इन परिस्थितियों में पक्षकारान की सहमति से प्रस्तुत इस याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

6– इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर भविष्य में पक्षकारान् के पति–पत्नी के रूप में वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करने की कोई सम्भावना दृष्टिगत नहीं होती है। इसलिए पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार किए जाने योग्य है।

आ दे श

अतः पक्षकारान् आशा सांवल तथा मनोज कुमार जग्रवाल द्वारा प्रस्तुत यह संयुक्त याचिका बाबत विवाह विघटन अन्तर्गत धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 स्वीकार कर, उनके मध्य दिनांक 08.12.2023 को सम्पन्न हुए विवाह को आपसी सहमति के आधार पर आज निर्णय दिनांक 10.08.2026 से विघटित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे। उपरोक्तानुसार डिक्री तैयार की जावे।

(रविकान्त जिदंल)
अपर जिला न्यायाधीश,श्रीमाधोपुर
(सेशन खण्ड सीकर)

निर्णय आज दिनांक 10.08.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रविकान्त जिदंल)
अपर जिला न्यायाधीश,श्रीमाधोपुर
(सेशन खण्ड सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.11 17:27:08 IST